अंबेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)

1. **भूमिका**

1. **अनुसूचित जनजाति (एससी)/ दिव्यांग युवाओं के बीच उ द्यमशीलता विकसित करने और उन्हें 'रोजगार प्रदाता' ब नने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अ धिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने** वर्ष **2014-15 में अनुसूचित जनजातियों (वीसीएफ-एससी) के लिए इस वेंचर कैपिटल फंड को लॉन्च किया था । इस फंड का उद्देश्य एससी उद्यमियों के कारोबार को रियायती** वित्तपोषण **प्रदान करना है। इस फंड के तहत एससी उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 117 कंपनियों को कारोबार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।**

2. उच्च शिक्षा परिसरों में अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्रम में नए विचारों की पहचान करने और उन युवा उद्यमियों की उपयुक्त मदद करने आवश्यकता है जो शैक्षिक परिसरों अथवा टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (**टीबीआई**) में नवाचार और प्रौद्योगिकी-उन्मुख व्यावसायिक विचारों पर काम करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उपक्रम स्थापित करने में मदद मिल सके। इस तरह की पहल से एससी छात्रों को न केव

ल नवाचार एवं उद्यमिता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी बल्कि सरकार के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मि लेगा।

3. **उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अ धिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति (वीसी एफएससी) के लिए वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 'अंबेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)' नाम से एक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है।**

2. **<u>उद्देश्य</u>**

1. एएसआईआईएम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए एससी युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

ख. वर्ष 2024 तक (1,000) नवोन्मेषी विचारों को सहारा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) के साथ तालमेल स्थापित करते हुए काम करना।

ग. उदार इक्विटी समर्थन प्रदान करते हुए स्टार्टअप विचारों को तब तक सहारा प्रदान करना जब तक वे वाणिज्यिक स्तर तक न पहुंच जाएं।

घ. छात्रों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार को उद्यमशीलता तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. <u>एएसआईआईएम की पहल</u>:

3.1. इस पहल के तहत टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के साथ मिलकर एक व्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये **एससी युवाओं के 1,000 नवाचारों** की पहचान की जाएगी और उन्हें **तीन साल की अवधि के लिए इक्विटी के रूप में 30 लाख रुपये** तक का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तक छात्रों को नौकरी की तलाश के बिना नवाचार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

3.2. पात्रता: निम्नलिखित एससी/ दिव्यांग युवा एएसआईआईएम के तहत मदद हासिल करने के लिए पात्र होंगे:

क. टीबीआई द्वारा जिन युवाओं की पहचान की गई है उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ख. प्रतिष्ठित निजी टीबीआई द्वारा इन्क्यूबेशन के लिए जिन युवाओं की पहचान की गई हो।

ग. जिन छात्रों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन या स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकथॉन के तहत पुरस्कृत किया गया हो।

घ. टीबीआई में पहचाने गए ऐसे अभिनव विचार जो समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित हो।

ड. कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों के माध्यम से नामांकित एवं समर्थित स्टार्टअप।

3.3. खोज की प्रक्रिया: संभावित उद्यमियों की पहचान करने के लिए डीएसटी के तत्वावधान में स्थापित टीबीआई से संपर्क किया जाएगा और उन्हें **वीसीएफएससी से सहायता प्राप्त करने के लिए संभावित युवा एससी उद्यमियों की सिफारिश करने के लिए कहा जाएगा ताकि वे अपने नवाचारों को आगे बढ़ा सकें। टीबीआई के अलावा अन्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन स्कूलों से भी संपर्क किया जाएगा और उनके इनक्यूबेशन सेंटरों में काम करने वाले संभावित युवा उद्यमियों की सिफारिश करने के लिए उनसे कहा जाएगा।**

इसके अलावा एससी युवाओं को एएसआईआईएम के तहत समर्थन हासिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तरीके से वर्ष में कम से कम दो बार प्रचार के जरिये पात्र उम्मीदवारों को चुना जाएगा:

(क) सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन के जरिये प्रचार,

(ख) सभी उच्च शिक्षा परिसरों में छात्रों तक पहुचना,

(ग) उद्योग समूहों और उनके संगठनों के साथ काम करना,

(घ) विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन स्कूलों के साथ सहभागिता।

3.4. चयन प्रक्रिया:

(क) अनुसूचित जाति/ दिव्यांग छात्रों द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्टार्टअप विचार जिन्हें टीबीआई द्वारा चुन लिए गए हैं, इन्क्यूबेशन के लिए स्वत: चुने जाएंगे।

(ख) अनुसूचित जातियों और दिव्यांग जनों के विभिन्न स्टार्टअप से प्राप्त अन्य आवेदनों/ प्रस्तावों को इस फंड के दिशानिर्देशों के अनुसार चयन किया जाएगा।

3.5. इक्विटी सहायता संबंधी प्रावधान: टीबीआई में पहचान किए गए अनुसूचित जाति के छात्रों के नवोन्मेषी **विचारों को वीसीएफ-एससी योजना के संशोधित वितरण तहत** अनुलग्नक-1 **के अनुसार 3 वर्ष की अवधि में 30 लाख रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी जो संबंधित टीबीआई** द्वारा प्रगति के संतोषजनक मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। तीन साल की इन्क्यूबेशन अवधि के दौरान उद्यमियों को कंपनी बनाने के लिए आवश्यक खर्च को छोड़कर अन्य किसी भी वित्तीय योगदान के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। **कंपनी बनाने के लिए आवश्यक खर्च को उद्यमियों या टीबीआई द्वारा वहन किया जाएगा। इन सब पहल के लिए वित्तीय सहायता इन युवा एससी उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित संस्थाओं को जारी की जाएगी।**

4. बजट

एएसआईआईएम को अनुलग्नक-2 **में दिए गए विवरण के अनुसार एससी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की एमएसजेई योजना से वित्त** पोषण **किया जाएगा।**

एएसआईआईएम की पहल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय लागत और खर्चों को पूरा करने के लिए वीसीएफ-एससी फंड की निधि के 0.50 प्रतिशत का उपयोग वार्षिक प्रशासनिक लागत के लिए किया जाएगा। इन खर्चों में विज्ञापन जारी करना, विपणन आदि पर होने वाले भी शामिल होंगे।

****

अनुलग्नक - 1

इन्क्यूबेशन के लिए वित्तपोषण **(लाख रुपये में)**

खर्च की वस्तु	वर्ष **1**	वर्ष **2**	वर्ष **3**	**कुल**
टीबीआई आवास की लागत	0.5	0.5	0.5	1.5
हार्डवेयर	1.5	0.5	0	2
सॉफ्टवेयर	0.5	0.5	0	1
फेलोशिप	4.8	4.8	4.8	14.

				4
यात्रा एवं विपणन	0	1	1	2
आईपी फाइलिंग	0	0.4	0	0.4
टूल-रूम के खर्च	0.5	0.5	0.5	1.5
सहकर्मियों को (1) @ 20,000 रुपये प्रति महीना	2.4	2.4	2.4	7.2
Total	**10.2**	**10.6**	**9.2**	**30**

नोट: ये आंकड़े केवल बजटीय उद्देश्यों के लिए अस्थायी हैं जिनमें परियोजना के प्रकार के आधार पर बदलाव हो सकता है।

अनुलग्नक **- 2**

एएसआईआईएम पहल के लिए अनंतिम बजट (लाख रुपये में)

	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**कुल**
खोज प्रक्रिया के जरिये पहचान की जाने वाली पहल की अनुमानित	100	200	300	400	**100**

संख्या लक्षित इनक्यूबेटी में अनुमानित इक्विटी निवेश					
2020-21 (100)	1020	1060	920		**300**
2021-22 (200)		2040	2120	1840	**600**
2022-23 (300)			3060	3180	**624**
2023-24 (400)				4080	**408**
इन्क्यूबेटी के लिए कुल	**1020**	**3100**	**6100**	**9100**	**193**

प्रशासनिक लागत

एएसआईआईएम के कार्यान्वयन में खर्च एवं लागत को पूरा करने के लिए वीसीए एससी फंड की कुल निधि की 0.50 प्रतिशत रकम को वार्षिक प्रशासनिक लागत लिए अलग रखा जाएगा। यह लागत के मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

*****